not have such super computers and that they were carying on without such super computers? Why have we not approached them and tried to have them on competitive terms?

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: Well, it is difficult at the technical level to evaluate and compare the super computers available in the Soviet Union and the United States. It is a very technical matter. But we do know that the Soviet Union has a super computer which is called Albaruz. I was in Moscow a few weeks back and I was told about this computer. They are also developing it further. As for Academician Marchuks offer of such a super computer, it is for the technical department concern to take a stand on that.

**National Wastelands Development Board**

*34. SHRI NARESH C. PUGLIA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) when the National Wasteland Development Board was set up;

(b) what are the functions of the Board;

(c) whether the Board has issued any guidelines for the development of wasteland; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BHAJAN LAL): (a) The National Wastelands Development Board was set up in May, 1985

(b) The primary functions of the Board are to formulate policies, strategies to halt deforestation, to increase afforestation, to promote fodder and fuelwood plantation to meet the needs of the people and to develop a pople's movement.

(c) Yes, Sir.

(d) A summary of the Guidelines issued is placed on the Table of the House as statement

**Statement**

*Wasteland Development Programme Guidelines for Action*

1. Small farmers and landless persons may be given a vested interest in the growing and protection of trees.

2. The extent of wastelands may be classified into 3 broad categories of land; firstly land officially classified as forest, secondly wastelands within the boundary of privately owned lands and thirdly wastelands on public lands.

3. Identification of wastelands should be done on a systematic village basis.

4. The nature of degradation must be determined with reference to the present status of soil and the extent of availability of water.

5. The species appropriate to the soil and climatic conditions of different parts of the country need to be selected.

6. The selection of species must take into account the degree of degradation and the likely availability of water in a normal year.

7. To encourage the grant of Tree Pattas.

8. Committee of villagers may be entrusted with the plantation work and a clear procedure should be laid down as to the distribution of usufructuary rights.

9. Nurseries must be decentralised in a given time-frame.

10. Kisan nurseries, school nurseries, etc. may be promoted.

11. In large revinous tracts seedings by broadcast must be attempted.

12. In respect of land owned by Departments of Government, such as Railways or Road margins etc., Government agencies should identify beneficiaries and make available to them usufructuary rights.

13. In each Block, a single functionary should be created who will coordinate the various functions relating to greening of wastelands.

14. State Land Use Boards should be strengthened and revitalised.

15. Funds available under Social Forestry, Rural Development Programmes and other parallel programmes must be applied maximally.

16. Publicity material at national, district, State and local levels should be promoted.

17. Voluntary organisations may be identified wherever possible to undertake different aspects of work relating to wastelands development.

18. 10 to 20 percent of the number of districts may be selected in each State for intensive work.

**श्री नरेश सी० पुगलिया :** सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि वन विनाश को रोकने के लिए नीतियां, योजनाएं तैयार करना, वनरोपण में वृद्धि करना, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चारे और जलावन की लकड़ी की पौधरोपण को बढ़ावा देना और एक जन आन्दोलन तैयार करना बोर्ड के प्राथमिक कार्य हैं। देश में आज 33 प्रतिशत वन की आवश्यकता है लेकिन दिन प्रति दिन जंगलों के कम होने से पर्यावरण समस्या भी सामने खड़ी हो रही है। आज देश में फारेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन, नेशनल वेस्टलैण्ड डेवलपमेंट बोर्ड और रेगुलर फारेस्ट डिपार्टमेंट्स, ये तीनों विभाग जंगलों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि नेशनल वेस्टलैण्ड डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से, जिसका निर्माण 1985 में हुआ है, पिछले दो सालों के अन्तर्गत कितने राज्यों ने इस बोर्ड का निर्माण किया है? साथ ही जिन राज्यों ने बोर्ड का निर्माण न करते हुये इस प्रकार काम काम शुरू नहीं किया है उनके खिलाफ केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है? पार्ट बी, मैं पूछना चाहता हूं कि फारेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन . . .

MR. CHAIRMAN: Your time is over. The question is in how many States the Boards have been set up and how they are working. Mr. Minister, you reply only to this.

**श्री भजन लाल :** सभापति महोदय यह बोर्ड जो है यह स्टेम में भारत सरकार के अन्तर्गत और भारत सरकार के इस बोर्ड ने पिछले दो सालों में, 1985-86 में 15 लाख हेक्टेयर भूमि में पेड़ लगाये हैं और 1986-87 में 17 लाख हेक्टेयर में पेड़ लगाये हैं। मैं थोड़े से आंकड़े देकर बताना चाहता हूं कि 1951 से लेकर 1980 तक 38 लाख हेक्टेयर वन लगाये गये और इस पर ढाई करोड़ रुपए खर्च हुये। छठी पंचवर्षीय योजना में, 1980-85 में साढ़े सात लाख हेक्टेयर में पेड़ लगाये और 926 करोड़ रुपए खर्च हुये। सातवीं पचवर्षीय योजना में 1 करोड़ 25 लाख हेक्टेयर भूमि में वन लगाने का हमारा प्रोग्राम है और इस पर 2150 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे।

**श्री नरेश सी० पुगलिया :** सभापति महोदय मंत्री जी ने कहा है कि यह राज्यों का नहीं बल्कि केन्द्र का है। यह केन्द्र का है यह जानकारी हमें है। लेकिन राज्यों में भी इस प्रकार के बोर्डों का निर्माण हो चुका है, लेकिन कुछ राज्यों ने ऐसे बोर्डों का निर्माण आज तक नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि इसके बारे में मंत्री जी अपने उत्तर में जरा खुलासा करें।

दूसरा, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि फारेस्ट डेवलपमेन्ट कारपोरेशन जिसका मुख्य उद्देश्य वनों का निर्माण है, इसका काम पिछले साल से बंद है और आने वाले दस सालों तक यह काम बंद रहेगा । तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या फारेस्ट डेवलपमेन्ट कारपोरेशन और वेस्ट लैंड डेवलपमेन्ट बोर्ड इनको एक एक करके वेस्ट लैंड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन के कर्मचारियों की सर्विस इसमें लेने पर विचार करेंगे ?

**श्री भजन लाल** : सभापति महोदय, फारेस्ट डेवलपमेन्ट बोर्ड कई प्रान्तों में बना है लेकिन वेस्ट लैंड बोर्ड नहीं बना है। आपने वेस्ट लैंड बोर्ड के बारे में पूछा था । इसके साथ ही साथ जैसा माननीय सदस्य ने कहा जो हमने मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये हैं, स्टेटों को, उनको अपनाते हुए कुछ स्टेटों ने डेवलपमेंट बोर्ड बनाये हैं ताकि उन प्रदेशों में ज्यादा से ज्यादा वन लग सकें और वनों का विनाश रुक जाय ।

**श्री पवन कुमार बांसल**: सभापति महोदय, बंजर भूमि के विकास के अलावा दूसरी समस्या यह भी है कि जो उपजाऊ जमीन है वह भी बंजर होती जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उसके लिये क्या उपाय किये गये हैं ? इसके साथ ही साथ पंजाब में जो बेट और कंडी की जमीन है उसके विकास के लिये क्या इमदाद-पशगी की गयी ?

**श्री भजन लाल** : सभापति महोदय, यह बात ठीक है कि बंजर का मतलब अकेला यह नहीं कि यह बहुत पुरानी जमीन हो जहां पानी न हो । बहुत सी जमीन सेम के नीचे आ गई जिसमें काश्त नहीं हो सकती है उसको भी हम बंजर कह सकते हैं । जमीन ऊबड़-खाबड़ हो गई उसको भी बंजर कह सकते है, लूणी हो गई, खारी हो गई, उसके नीचे का पानी खारी हो गया और वह उपजाऊ नहीं है, उसको भी बंजर कह सकते हैं । उसके लिए भारत सरकार की स्कीम है जिसको ऐग्रिकल्चर डिपार्टमेंट डील करता है और प्रदेशों में जहां कहीं भी वाटर लॉगिंग हो उसके लिए भारत सरकार सहायता के तौर पर उनको अनुदान देती है अगर पंजाब सरकार ने मांगा होगा तो भारत सरकार ने उसकी मदद की होगी ।

जहां तक हमारे डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, फारेस्ट के बारे में, नरसरी लगाने के बारे में, फारेस्ट को बढ़ावा देने के बारे में हमारे पास जो स्कीम है उसके लिए हमने पंजाब सरकार को भी पैसा दिया है।

**श्री वीरेन्द्र वर्मा** : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 1985-86 में 15 लाख हैक्टेयर, 1986-87 में 17 लाख हैक्टेयर उन्होंने वन लगाए हैं और ढाई सौ करोड़ रुपये व्यय किए हैं । क्या इनके पास ऐसी योजना है कि उन्होंने कितने वन लगाए और कितने उनमें से सुरक्षित रहे और उनको ठीक करने में सरकार कितना खर्चा कर रही है ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो हवाई बीजीकरण की आपकी योजना है और किसानों और स्कूलों द्वारा नर्सरी बनाने की योजना है, इसमें आपने क्या प्रगति की है ?

**श्री भजन लाल** : सभापति महोदय, बड़ा अच्छा सवाल वर्मा जी ने पूछा है । यह ठीक बात है कि बहुत से प्रान्तों की नर्सरी या फारेस्ट आबहवा पर डिपेंड करती है। बहुत से प्रदेश हैं जैसे राजस्थान और गुजरात जहां सूखा ज्यादा है, वहां नर्सरी जो लगाते हैं उसमें से जो कायम रहती है उसका औसत 50-55 प्रतिशत है । जहां पानी ठीक है जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और कुछ हरियाणा का हिस्सा है, वहां पर 80 से 90 प्रतिशत पौधा कायम रहता है । जहां तक नर्सरी लगाने का ताल्लुक है, इसके लिए हमारी अलग स्कीम है। कहें तो मैं स्कीम के बारे में पढ़कर बता देता हूं।

श्रीमन्, 1985-86 में 9 करोड़ 98 लाख पौधे लगाने के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान सरकार को 4 करोड़ 14 लाख रुपए दिए गए, 1986-87 में 133 करोड़ पौधे लगाने के लिए 10 करोड़ 5 लाख 54 हजार रुपए दिए। 1986-87 में 20 करोड़ और 5 लाख पौधे लगाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम शुरू किए हैं और इनके लिए राज्य सरकारों को 41 करोड़ 30 लाख रुपए दिए गए हैं।

1987-88 के लिए 28 करोड़ ...

SHRI JASWANT SINGH: This can be placed on the Table of the House. Please restrict him.

**श्री भजन लाल :** आप पूछ रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं। 1987-88 के लिए 28 करोड़ का लक्ष्य रखा है जिसके लिए 132 करोड़ रुपए रखे गए हैं ...

**श्री वीरेन्द्र वर्मा :** हवाई बीजीकरण के बारे में बताइए।

**श्री भजन लाल :** सभापति महोदय, जहाज से बीज छिड़कने का प्रोग्राम हमने अपने हाथ में लिया है ताकि जहां पर आदमी नहीं जा सकता, बीहड़ इलाका है, वहां पर हवाई तरीके से बीज डालकर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं।

**श्री राधाकिशन मालवीय :** मान्यवर, बंजर भूमि के संबंध में मध्य प्रदेश के भिंड, मुरेना और ग्वालियर में जो बीहड़ भूमि पड़ी है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बीच में चंबल नदी के दोनों तरफ बीहड़ टोले बन गए हैं और हजारों एकड़ भूमि पड़ी हुई है जिनके कारण डाकेजनी होती है और डाकू लोग उनमें रहते हैं। मान्यवर, मध्य प्रदेश की सरकार डाकू उन्मूलन योजना के अंतर्गत भिंड, मुरेना और ग्वालियर के बीहड़ों में सड़कों का निर्माण कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन बीहड़ों को समतल करके गरीब हरिजन, भूमिहीन लोगों को इस भूमि का वितरण कर डाकू उन्मूलन योजना में सहयोग करने के लिए और बंजर भूमि का विकास करने के लिए कोई योजना बनाई है?

**श्री भजन लाल :** सभापति महोदय, यह सारी स्कीमें बंजर भूमि को ठीक करने के लिए है सारे मुल्क में तकरीबन साढ़े सतरह करोड़ हैक्टेयर भूमि ऐसी है जो बंजर भूमि है और खास कर के मध्य प्रदेश के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का टोटल रकबा 4 करोड़ 43 लाख हैक्टेयर है जिस में से 2 करोड़ हैक्टेयर के करीब भूमि को हम बंजर कह सकते हैं यानी तकरीबन 47 परसेंट एरिया है इसके लिए हम ने स्कीमें बनाई हैं पेड़ लगाने के लिए, नर्सरियां लगाने के लिए तथा बेसिक योजना के नीचे भी यदि किसान अपने खेतों में पेड़ लगाना चाहें तो किसानों को सबसिडाइज्ड रेट पर नर्सरियां दी जाती है ताकि किसान अपने खेतों में पेड़ लगा सकें जिससे मुल्क में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगें और हरियाली हो। माननीय सदस्य ने जहां तक एक एरिया का बताया है कि उसमें डाकू रहते हैं, ठीक नहीं है, उसके लिए सरकार क्या योजना बना रही है, माननीय सदस्य उस एरिया का नाम लिख कर हमारे पास भेज दें गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सम्भव होगा गवर्नमेंट करेगी।

**श्री राधाकिशन मालवीय :** वह चम्बल का क्षेत्र है। (व्यवधान)

**श्री भजन लाल :** चम्बल के क्षेत्र को हम जानते हैं लेकिन उसका इलाज वहां की सरकार को करना चाहिये

### Refugees from various countries coming to India

*85. SHRI JASWANT SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the number of refugees who have come to India from various countries during the last three years; and

(b) what are the details in this respect?